विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-09/16

मेसर्स महावीर कॉट फायबर्स — आवेदक
प्रो. श्री दिलीप जैन,
खेतिया पानसेमल रोड, खेतिया
जिला– बड़वानी म.प्र.

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (इ.क्षे.) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., इंदौर म.प्र.

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बड़वानी म.प्र.

आदेश

(दिनांक 06.07.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0331616 मेसर्स महावीर कॉट फायबर्स, बड़वानी विरूद्ध कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2016 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–09/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 10.06.2016 को उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक के प्रतिनिधि श्री आर. एस. गोयल एवं श्री आर.सी. सोमानी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री मोहित कुमार धर्वे, सहायक यंत्री, बड़वानी उपस्थित हुए।

04 आवेदक द्वारा प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि–

(i) उनका एक उच्चदाब कनेक्शन महावीर कॉट फायबर्स के नाम से ग्राम खेतिया में स्थित है जिसकी कि संविदा मांग 100 केवीए है।

(ii) उक्त विद्युत कनेक्शन हेतु लगाई गई एमई (मीटरिंग इक्यूपमेंट) अचानक दिनांक 26.9.2015 को खराब हो गई जिसकी सूचना उनके द्वारा संबंधित अनावेदक के अधिकारी को दी गई तथा उनके कनेक्शन को दिनांक 27.9.2015 को विच्छेदित कर दिया गया।

(ii) आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके यहॉ स्थापित एमई की क्षमता 5 एम्पीयर की थी जो कि 300 केवीए का भार ले सकती थी। यह एमई अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिसंबर 2008 में लगाई गई थी।

(iv) अनावेदक द्वारा एमई जल जाने के कारण उन्हें रूपये 1,54,763/– का डिमाण्ड नोट दिनांक 28.9.015 को जारी किया गया तथा यह राशि अनावेदक द्वारा आवेदक की जमा सुरक्षा निधि में से समायोजित कर ली गई।

(v) आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त जली हुई एमई का परीक्षण दिनांक 12.10.2015 को किया गया जिसमें एमई के आर फेस की सीटी प्रायमरी एवं सेकण्ड्री खुली बताई गई। परन्तु एमई का कोर इंस्पेक्शन नहीं किया गया। आवेदक द्वारा यह भी बताया कि उनके माह अप्रैल से सितंबर माह तक जिनिंग फैक्ट्री का सीजन ऑफ रहता है, अतः विगत 6 माह में 18 केवीए से ज्यादा एमडी रिकार्ड नहीं हुई तथा यह भी बताया गया कि दिनांक 26.9.2015 को जब एमई फेल हुई उस समय उनके परिसर में कोई भी फाल्ट नहीं हुआ था एवं उनके ट्रांसफार्मर के डीओ फ्यूज भी नहीं जले थे। अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.9.2015 को परिसर के निरीक्षण में भी किसी तरह का कोई आंतरिक फाल्ट आना नहीं पाया गया।

(vi) आवेदक द्वारा अनावेदक से एमई के रख–रखाव किये जाने की जानकारी मांगी जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। जबकि एमई के रख–रखाव करने की जबावदारी अनुज्ञप्तिधारी की है। अनावेदक द्वारा इस अवधारणा के आधार पर कि चूंकि एमई की सीटी परीक्षण के समय ओपन मिली है अतः आवेदक के परिसर में कोई आंतरिक फाल्ट आने के कारण एमई जली है इसलिए राशि वसूली की गई।

(vii) फोरम द्वारा भी उपरोक्त अवधारणा के आधार पर ही अपना निर्णय दिया तथा आवेदक से एमई की depreciated cost जमा करने हेतु आदेश पारित किया।

05 अनावेदक द्वारा दिनांक 10.06.2016 को प्रस्तुत लिखित वहस में अवगत कराया गया कि माननीय फोरम की अवधारणा के अनुसार –

(i) आवेदक के परिसर में अधिक फाल्ट करंट होना सीटी फेल का सामान्य कारण हो सकता था, जो कि आवेदक के परिसर में हुये संभावित अधिक करंट फाल्ट की बात को सुनिश्चित करता है।

(ii) चूंकि आवेदक के परिसर में 18 केवीए से अधिक भार दर्ज नहीं हुआ अतः इस स्थिति में इस भार पर एमई के जलने की संभावना नहीं थी, जब तक कि अधिक फाल्ट करंट नहीं आया हो।

(iii) अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय फोरम ने यह भी माना कि परिवादी के आवेदन पर ही वरिष्ठ कार्यालय के अनुमोदन पश्चात् कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर सुरक्षा निधि की राशि रूपये 2,36,819/– में से एमई की राशि समायोजित की गई। चूंकि अनावेदक कि ओर से प्रस्तुत एमई की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 'आर' फेस की सीटी प्रायमरी एवं सेकेण्डरी ओपन पाई गई। ऐसी स्थिति में एमई की कीमत निश्चित ही उपभोक्ता से वसूली योग्य है।

06 उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक सिर्फ फोरम द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार यह बताना चाहता है कि अत्यधिक फाल्ट करंट आने से एमई की सीटी जली है, परन्तु इसे सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए कि एमई फेल होने की तिथि में अत्यधिक फाल्ट करंट प्रवाहित हुआ था।

07 उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस एवं तर्क सुनने के पश्चात प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अनावेदक को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के

निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.20 के अनुपालन में निम्न जानकारी लेकर अलली तिथि में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया –

अ जली हुई सीटीपीट की पिछले दो वर्ष की मेंन्टेनेंस रिपोर्ट।

ब सीटीपीटी जलने के पिछले तीन माह की एमआरआई रिपोर्ट।

स जली हुई सीटीपीटी की कोर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट।

08 दिनांक 5.7.2016 को प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ की गई। अनावेदक द्वारा दिनांक 10.6.2016 को दिये गये निर्देशानुसार जली हुई एमई की कोर इंस्पेक्शन रिपोर्ट(एनेक्सर–1) तथा एमई जलने के पूर्व की एमआरआई रिपोर्ट(एनेक्सर–2) प्रस्तुत की गई। अनावेदक द्वारा बताया गया कि जली हुई एमई की विगत वर्षों में किये गये मेंटेनेंस का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है अतः उसे प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

09 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान अवगत कराया गया कि एमई का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 1.7.2016 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि आर फेस की सीटी की वाइंडिंग जली है तथा एमई के टेंक में नीचे केवल एक इंच तक आयल पाया गया तथा एमई की सीटी एवं पीटी की वाइंडिंग तक आयल नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विगत वर्षों में एमई का मेंटेनेंस नहीं किया गया। (एनेक्सर–3) आवेदक द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान सीटी के लिये गये फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये।

10 अनावेदक द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि एमई के आर फेस की सीटी की वाइंडिंग जली है तथा एमई के अंदर तेल का स्तर भी एक इंच पाया गया।

11 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि एमई के टेंक में आयल एक इंच तक भरा होने के कारण एमई की सीटीपीटी की क्वायल आयल में नहीं डूबी थी जिसके कारण सीटी की आर फेस की क्वायल लगातार गर्म होने के कारण जली है। अनावेदक द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि एमई में आयल का स्तर निर्धारित लेवल तक नहीं पाया गया तथा एमई की वाइडिंग तेल में नहीं डूबी होने के कारण लगातार गर्म होने से जलने की संभावना रहती है। अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि एमई के मेंटेनेंस का कार्य अनुज्ञप्तिधारी का है तथा वे मेंटेनेंस रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सके।

12 उपरोक्त तर्कों एवं प्रस्तुत लिखित वहस के आधार पर यह तथ्य सामने आये –

अ आवेदक के परिसर में दिनांक 26.9.2015 को एमई जलने के कोई तकनीकि कारण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

ब अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई (एनेक्सर–2) से यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन तकनीकि कारणों से एमई जली है। जबकि स्वीकृत संयोजित भार 100 केवीए के विरूद्ध 18 किलोवाट भार दर्ज हुआ।

स अनावेदक द्वारा एमई जलने के पश्चात उसका परीक्षण करने पर सीटी क्वायल खुली पाये जाने के आधार पर यह मान लिया गया कि आवेदक के परिसर में कोई आंतरिक फाल्ट आने से सीटी क्वायल जली है। परन्तु एमई का कोर इंस्पेक्शन कर वास्तव में क्या आंतरिक खराबी आयी है सुनिश्चित नहीं किया गया।

द अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई से भी यह सुनिश्चित नहीं होता है कि एमई के जलने की तिथि पर अधिक फाल्ट करंट प्रवाहित हुआ हो जिसके कारण सीटी क्वायल जली है।

च अनावेदक द्वारा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदक की जमा सुरक्षा निधि की राशि में से जली एमई की कीमत 1,54,763/– रूपये समायोजित करने से पूर्व एमई के फेल होने के वास्तविक कारणों को सुनिश्चित नहीं किया गया।

13 यदि अनावेदक द्वारा एमई के परीक्षण के दौरान ही कोर का निरीक्षण किया जाता तो यह तथ्य सामने आ सकते थे कि एमई में निर्धारित स्तर पर आयल उपलब्ध नहीं है। परन्तु अनावेदक द्वारा बिना सुनिश्चित किये ही एमई की आवेदक की जमा सुरक्षा निधि की राशि में से एमई की कीमत समायोजित कर ली।

14 अनावेदकयह सिद्ध करने में असफल रहा कि आवेदक के यहॉ लगी एमई आवेदक की गलती से ही जली है। जबकि कोर इंस्पेक्शन (एनेक्सर–4) से स्पष्ट है कि एमई में निर्धारित स्तर तक आयल नहीं पाया गया जिसके कारण सीटी की वाइंडिंग आयल में डूबी हुई नहीं थी जिसके कारण लगातार करंट प्रवाहित होते रहने से क्वायल गर्म होकर जलने की संभावना है। इस बात की पुष्टि भी तर्क के दौरान अनावेदक के प्रतिनिधि द्वारा की गई।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि–

(i) एमई के रख–रखाव का दायित्व अनावेदक का था। अनावेदक द्वारा एमई का रख–रखाव कब–कब किया गया इसका कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाये। जबकि एमई के कोर इंस्पेक्शन से यह पाया गया है कि एमई के टेंक में निर्धारित स्तर तक आयल नहीं भरा था जिसके कारण करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) एवं प्रोटेंशियल ट्रांसफार्मर (पीटी) की वाइंडिंग उसमें डूबी हुई नहीं थी एवं लगातार नार्मल करंट प्रवाहित होने से गर्म होने पर उसके जलने की प्रबल संभावना है एवं कोर इंस्पेक्शन में आर फेस की वाइंडिंग का जला होना पाया जाना इसका सबूत है।

(ii) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई से भी यह स्पष्ट हो गया है कि आवेदक के परिसर में ऑफ सीजन होने के कारण विद्युत भार केवल 18 किलोवाट ही दर्ज हुआ है तथा एमआरआई में कहीं भी इस बात का डाटा उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि एमई के जलने के पूर्व आवेदक के सिस्टम में आंतरिक त्रुटि आने के कारण अत्यधिक करंट प्रवाहित हुआ हो। अतः आवेदक एमई फेल होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए एमई की कीमत जो कि उनकी सुरक्षा निधि से समायोजित की गई वापस करने योग्य है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक द्वारा आवेदक की जमा सुरक्षा निधि की राशि में से समायोजित की गई एमई की कीमत आवेदक को वापस करे।

ब फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

15 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल